लोक शिक्षण संचालनालय,
संभाग – इंदौर,
, मध्यप्रदेश

(मान्यता नवीनीकरण प्रमाण पत्र)

क्रमांक/CERT15213/2022/542105

भोपाल, दिनांक : 24-11-2

मध्यप्रदेश माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शाला मान्यता नियम 2017 के नियम (12) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपके आवेदन पत्र 542105 दिनांक 31-05-2021 में प्रस्तुत की गयी जानकारी एवं द्वितीय अपील का मान्यता समिति द्वारा किए गए निराकरण के आधार पर हायर सेकेंडरी (HSS)स्कूल की मान्यता का नवीनीकरण किया जाता है , विवरण निम्नानुसार है:-

शाला का नाम :	**GREEN VELLY HIGHER SECONDARY SCHOOL, KANAPUR, BADWAH, KHARGONE**
शाला का DISE कोड :	**23271303808**
शाला का प्रकार :	**हायर सेकेंडरी (HSS)**
माध्यम :	**English Hindi**
वैधता सत्र :	**2024-25**
समूह संकाय :	**Art Science Commerce Agriculture Fine Art**

1. स्कूल उन्ही कक्षाओं व् संकायों में प्रवेश दे सकेगा, जिनके लिए उन्हें मान्यता दी गई है।
2. सक्षम अधिकारी द्वारा मान्यता या उसके विस्तार संबंधी जारी प्रमाण – पत्र प्राचार्य कक्ष में प्रदर्शित किया जायेगा।
3. स्कूल में कार्यरत प्राचार्य एवं अन्य शिक्षक एवं कर्मचारी किसी भी प्रकार की राजनैतिक गतिविधि में सम्मिलित नहीं होंगे और स्कूल द्वारा छात्रों को किन्ही भी राजनैतिक गतिविधियों में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।
4. स्कूल, कार्यकरण के लिए विद्यार्थियों एवं कर्मचारियों के आवश्यक लेखे और अन्य ऐसे समुचित अभिलेखों का संधारण करेगा। विभाग के अधिकारी आकस्मि रूप से कभी भी इन अभिलेखों का निरीक्षण कर सकेंगे।
5. स्कूल में अध्ययनरत छात्रों के पालकों की भागीदारी सुनिश्चित करने हेतु "पालक -शिक्षक संघ" का गठन किया जावेगा।
6. स्कूल, श्रेष्ठ अकादमिक गुणवत्ता के मापदण्ड प्राप्त करने हेतु सतत प्रयास करेगा। प्रत्येक तीन वर्ष की अवधि में समस्त शिक्षकों को उनके सम्बंधित विषय मे कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जायेगा।
7. सम्यक निरीक्षण के पश्चात् एक बार मान्यता प्रदान कर दिए जाने पर सोसायटी /ट्रस्ट,मान्यता के समय दावाकृत किन्ही भी मापदण्डों को परिवर्तित नहीं करेगा।स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारी किसी भी समय स्कूल परिसर का निरीक्षण कर सकते हैं।यदि निरीक्षण के समय यह पाया जाता है कि सोसायटी /ट्र किन्ही मान्यता नियम 2017 के किन्ही प्रावधानों का पालन नहीं कर रहा है तो संभागीय संयुक्त संचालक को नियम 11 के उपनियम(1)में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अनुसरण करते हुए स्कूल की मान्यता निलंबित करने और पश्चातवर्ती इसे रद्द करने की शक्ति होगी।
8. यदि नियम 5 और 9 के अधीन विहित मानकों,शर्तों और उत्तरदायित्वों तथा समय–समय पर जारी निर्देशों एवं मार्गदर्शन का प्रथम दृष्ट्या पालन नहीं किया पाया जाता है तो संभागीय संयुक्त संचालक,लोक शिक्षण को जाँच के आधार पर स्कूल की मान्यता निलंबित करने की शक्ति होगी।
9. कारण बताओ सूचना पर जारी किए जाने की दशा में यदि सोसायटी /ट्रस्ट से प्राप्त उत्तर से संभागीय संयुक्त संचालक का समाधान नहीं होता है तो वह सम्ब को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् स्कूल की मान्यता उसके कारण विनिर्दिष्ट करते हुए रद्द कर सकेगा।
10. मान्यता के प्रत्याहरण होने पर,प्रस्तुत की गई सुरक्षा निधि को पूर्णतः या अंशतः,जैसा कि आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए,सम्पहृत हो जाएगी।
11. माध्यमिक शिक्षा मंडल से सम्बद्धता प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

Signature valid
Digitally Signed By Dinesh Singh Kushwah
Personal
Date : 24-Nov-2022 16:27:22 IST

अपर संचालक , लोक शिक्षण, भो

मध्य